

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-8
संख्या- 235 आ.न.यो./नौ-8-14-1आ.न.यो.(बजट)/13
लखनऊ:: दिनांक 18 फरवरी, 2014

शुद्धि-पत्र

आदर्श नगर योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में शासनादेश संख्या-12/1443आ.न.यो./नौ-8-2013-4आ.न.यो.(बजट)/2013, दिनांक 29.11.2013 के द्वारा कतिपय अन्य नगर पंचायतों के साथ नगर पंचायत-बरसाना, जनपद-मथुरा को अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु कुल रूपये 50.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि रूपये 25.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2. उक्त शासनादेश दिनांक 29.11.2013 के द्वारा नगर पंचायत-बरसाना, जनपद-मथुरा को स्वीकृत किये गये 07 कार्यों के विवरण में लिपिकीय त्रुटिवश हुई त्रुटियों का निराकरण किये जाने हेतु अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी नगर पंचायत-बरसाना, जनपद-मथुरा के पत्र संख्या-49/न.प. बरसाना /2013-14 दिनांक 28.1.2014 द्वारा किये गये अनुरोध पर सम्यक विचारोपरांत नगर पंचायत-बरसाना, जनपद-मथुरा को शासनादेश संख्या-12/1443आ.न.यो./नौ-8-2013-4आ.न.यो.(बजट)/2013, दिनांक 29.11.2013 द्वारा आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये कार्यों के विवरण में एतद्वारा निम्नवत संशोधन किया जाता है :-

क्र. सं.	कार्य का विवरण	स्वीकृत धनराशि	क्र. सं.	शुद्धि पत्र
1	विष्णु की दुकान से डा0 सुभाष तक इण्टरलाकिंग कार्य खड़जा का कार्य।	05.57	02	"डा0 सुभाष" के स्थान पर "राधे की दुकान" पढा जाय।
2	सुभाष की दुकान से राजू तक इण्टरलाकिंग खड़जा कार्य।	04.27	3	सुभाष के स्थान पर "जगदीश" एवं राजू के स्थान पर "कल्लू" पढा जाय।
3	पन्नालाल मास्टर से पौहप सिंह लम्बरदार तक इण्टरलाकिंग खड़जा का कार्य।	06.66	4	"पौहपसिंह लम्बरदार" के स्थान पर "गिराज मार्केट तक" पढा जाय।
4	सुभाष की दुकान से पन्नालाल मास्टर तक इण्टरलाकिंग खड़जा का कार्य।	06.35	5	सुभाष के स्थान पर छिददी सेठ" एवं पन्ना लाल के स्थान पर "जंगो सेठ तक" पढा जाय।
5	डा0 अनुराग बाबा से चुन्नी के मकान तक इण्टरलाकिंग खड़जा का कार्य।	03.81	6	"चुन्नी" के स्थान पर "बाबू के मकान" तक पढा जाय।

3. शासनादेश दिनांक 29.11.2013 द्वारा नगर पंचायत-बरसाना जनपद-मथुरा को स्वीकृत किये गये कार्य "सूरज के मकान से कलुआ के मकान तक इण्टरलाकिंग खड़जा तथा लिंक गली का निर्माण कार्य" की मूल्यांकित धनराशि "रूपये 1.57 लाख" के स्थान पर "रूपये 15.70 लाख" पढा जाय।

4. अतः शासनादेश संख्या-12/1443आ.न.यो./नौ-8-2013-4आ.न.यो.(बजट)/2013, दिनांक 29.11.2013 में नगर पंचायत-बरसाना जनपद-मथुरा के लिए निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित आदेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शासनादेश दिनांक 29.11.2013 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(उमा शंकर सिंह)

उप सचिव।

मिशन

संख्या- 235 (1)/नौ-8-2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
- 3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, मथुरा।
- 4- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
- 8- अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी, नगर पंचायत-बरसाना, जनपद-मथुरा।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

U. S. Singh